

[Shri P. Shiv Shanker]

that the entire House may accept this Resolution.

SHRI P. UPENDRA: Madam, I beg to move the following Resolution:

"This House resolves that Shri K.K. Tewary be issued notice regarding his statement published in the newspapers today which has brought the office of the Chairman of Rajya Sabha to indignity and constitutes contempt of this House. If it is confirmed that Shri K.K. Tewary has issued that statement, the House further resolves that Shri Tewary be summoned to the Bar of this House before the end of the current session and be reprimanded."

THE DEPUTY CHAIRMAN: I want to point out one thing. You have not been very clear. Who should issue the notice? Is it the Privileges Committee (*Interruptions*) Who should ascertains the facts? You should also say that.

SHRI P. SHIV SHANKER: When the whole House passes the Resolution, it will be the ministerial act by the Rajya Sabha for the purpose of this Resolution.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: What will be the quantum of punishment and who will decide that?

SHRI P. SHIV SHANKER: I second the Resolution.

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The motion is declared to be carried unanimously.

The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at forty-five minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-seven minutes past three of the clock, the Vice-Chairman (Dr. Bapu Kaldate) in the Chair.

PERSONAL EXPLANATION BY KUMARI SUSHILA TIRIA

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI P. SHIV SHANKER): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Deputy Chairman has agreed to the Personal Explanation to be made by Kumari Sushila Tiria. She has come down and if you could kindly permit her...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Sushilaji.

कुमारी सुशीला तिरिया उड़ीसा: उपसभाध्यक्ष महोदय, कल जो घटना कृषि भवन के सामने राजेन्द्र प्रसाद रोड पर हुई उस घटना को ले कर आप लोगों ने हाऊस में मेरे साथियों ने मेरे प्रति जो चिंता व्यक्त की उसके लिए मैं हाऊस को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चेयरपर्सन मेडम डिप्टी चेयरमैन को भी मेरे बारे में जो उन्होंने चिन्ता व्यक्त की उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। 22 मई, 1990 के दिन महम के इश्यू पर युवा कांग्रेस की एक रेली हुई थी, डिमोंस्ट्रेशन हुआ था जो सांसद रमेश चेनीथाला के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रदर्शन में इन लोगों का प्रधानमंत्री श्री वी०पी० सिंह के निवास स्थान पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर के कुछ मेमोरेण्डम देने का इरादा था। इस तरह से भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के जितने वर्कर थे सब प्रधानमंत्री श्री वी०पी० सिंह के निवास पर डिमोंस्ट्रेशन कर रहे थे, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें पुलिस ने उन पर जबरदस्त लाठी प्रहार किया। इस लाठी प्रहार के कारण उनको इमरजेंसी वार्ड में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन लोगों का डिमोंस्ट्रेशन का जो मुद्दा था वह मुद्दा इस तरह से था जो हाऊस में भी था। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उस मुद्दे को ले कर श्री वी०पी० सिंह के निवास पर गये तथा उन लोगों पर जुल्म हुआ तथा उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने के बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया गया। मैं हाऊस को यह बताना चाहूंगी कि भारतीय युवा कांग्रेस के

प्रेसीडेंट लोक सभा के सदस्य भी हैं उनको जिस तरह से मारा गया है, एक सांसद होने के नाते हम यह नहीं समझ पाए कि एक सांसद की फेसिलिटीज़ क्या है। इस देश में राजतंत्र है या डेमोक्रेसी है या क्या है? एक सांसद और पब्लिक के बीच में क्या अंतर है? उनको जिस तरह से मारा गया है इसको लेकर कल हमने प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन में जाने का मेरा इरादा भी नहीं था। मेरा इरादा था कि मैं हाउस में आ जाऊंगी। 21 जनपथ पर भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से, एन०एस०यू०आई० और युवा कांग्रेस की तरफ से जो डिमांडेशन था उसमें ज्यादातर जो मुद्दे थे उनमें खास बातें नहीं थीं। शांतिपूर्ण मुद्दे थे। मैं उस डिमांडेशन में डाइरेक्ट शामिल नहीं थी हालांकि उसकी साइड में थी पार्लियामेंट आने के रास्ते पर और युवा कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते मैंने उनके पास रहना जरूरी फील किया। उस समय अचानक उनके ऊपर इस तरह से लाठी प्रहार हुआ कि आम जमता जिसने देखा और जिसने नहीं देखा वे विश्वास नहीं कर सकते जो मैंने खुद देखा। मैंने खुद भी उस समय सोचा कि इस तरह से लाठी प्रहार जानवरों के ऊपर हो सकता है कि भी लोगों पर नहीं हो सकता। कल जो डिमांडेशन हुआ मैं आपको बताना चाहूंगी। मैंने पुलिस को बताया कि मैं संसद सदस्या हूँ मैं संसद जाना चाह रही हूँ, उसके बाद भी उन लोगों ने एकदम से लाठी प्रहार सब लोगों पर किया। मेरे ऊपर भी लाठी प्रहार हुआ और हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारी गणेश शंकर पाण्डे को 10-12 पुलिस वालों ने नीचे गिराकर इस तरह से मारा कि उनको बचाने के लिए जब मैं नीचे गयी तो उन लोगों ने हमें बताया कि 'You are under arrest. You cannot go. You cannot save him'.

किसी आदमी को सेवा करने के लिए जब हम नीचे जाएंगे, सेवा करने की कोशिश करेंगे उस पर भी पुलिस का जुल्म रहेगा कि हम अण्डर अरेस्ट हैं, हम उतना तक नहीं कर पाएंगे।

सबको जबरदस्ती लाठी प्रहार करके गाड़ी में चढ़ा दिया गया मैं भी उस डी०टी०सी० बस की गाड़ी में थी। डी०टी०सी० बस में हम लोग चढ़े तो उस समय भी पुलिस ने डी०टी०सी० बस के ऊपर और नीचे एक एक करके इंडिविजुअल्स को मारा। इस तरह से मारना जुल्म करना ठीक नहीं है ... (व्यवधान) बस के ऊपर जब हम चढ़े, उस समय पुलिस ने बस के ऊपर मारा। बस में भी कुछ तरह से घायल करके मारा और जो दो लेडीज एन०एस०यू०आई० की के० सांचू और सरल थी उन दोनों

पर भी बुरी तरह से प्रहार किया। सरल दौड़कर भाग गयी साइड में दूसरी जो के०सांचू थीं वे मेरे साथ थीं और दूसरी भी एक लेडी थी उनको पुलिस ने नीचे गिरा दिया, उसके ऊपर एक एक करके लोग गिरने लगे। उस पर इस तरह से प्रहार किया कि उनके हाथ में जो सारे पेपर्स थे, पेन था सब नीचे गिर गया। सदन में यह बताना चाहूंगी कि मैं संसद में आने वाली थी। मेरा पुलिस के साथ जुल्म करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे ऊपर जो केस लगाये गये हैं मैं समझ रही हूँ कि ये केस मेरे लिए बिल्कुल एग्जॉग्रिएट नहीं है। हमको जब पुलिस ने अण्डर अरेस्ट करके लिया तो इस बीच में हमारे एक दो पदाधिकारी नहीं 4-5 इन्जर्ड थे उस बस में, उन लोगों ने हमको कमांड किया कि आप नीचे उतरकर पानी पीकर चले जाएं। हमने कहा कि उनकी टांग तोड़ दी है आपने तो नीचे कैसे वे लोग उतरेंगे और कैसे उतरकर पानी पीकर जाएंगे। पुलिस को इतनी हमदर्दी होनी चाहिए कि कम से कम मरने वाले व्यक्ति को एक गिलास पानी तो दे सकती है। उसके बाद जब हम लोग उधर बस से मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर डेढ़ घंटे सबको डिटैन कर दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं कि हमारे दूसरे पदाधिकारियों को कहां कहां छोड़ा। हम सिर्फ दो लेडीज वहां थी, मेरे साथ एक आफिसर और ज्वाइंट सेक्रेट्री और मैं, हम दोनों को डिटैन करके डेढ़ घंटे रखा। जब हमने बरांडे तक में जाने की कोशिश की तो हमको बताया कि 'You are under arrest' They were saying the same thing again and again. हम लोग बरांडे तक में नहीं जा पाए। हम उसी कमरे में बैठे रहे। उसके डेढ़ घंटे के बाद जब दूसरी पुलिस वैन आई तो उस पुलिस वैन में हमको बैठने के लिए कहा। जब मैंने पूछा कि मैं एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट होने के नाते पूछ सकती हूँ कि कौन से सेक्सन आफ द इंडियन पीनल कोड में अरेस्टेड हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि हम नहीं बता सकते। यह दुख की बात है कि एक मेम्बर होने पर भी मैं यह जानकारी पाने के कबिल नहीं हूँ कि मैं इंडियन पीनल कोड के कौन से सेक्सन में अरेस्टेड हूँ। उसके बाद उन लोगों को जब मैंने पूछा, तो मुझे कुछ नहीं बताया और उस गाड़ी में लेकर तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में पहुंचाया। उस गाड़ी में जब हमको लिया गया है, उस समय उसमें न तो कोई लेडी पुलिस अफसर थी और न ही कोई लेडी कांस्टेबल थी और जिस समय हम पर प्रहार किया गया है...

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): यह बड़ी शर्म की बात है।

कु० सुशीला तिरिया: उस समय भी इतनी पुलिस थी, उसमें से दो-तीन लेडी पुलिस—मैं झूठ बोलना कभी पसंद नहीं करती हूँ—सिर्फ दो-तीन लेडी पुलिस थी, पर वह साइड में थी, जो जेंट पुलिस द्वारा ही हमारी पिटाई हुई थी।

उसके बाद वह हमें तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में लेकर गये। इस समय न तो हमारे साथ कोई लेडी पुलिस थी और न ही कोई लेडी कांस्टेबल थी। हमको चौकी में एक कमरे में बैठने के लिए बताया गया। एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट होने के नाते, यह जानकारी लेने के लिए मैं मौका ही नहीं ले पाई कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट की क्या प्रिविलेज है वहां पर न तो हमको खाने के लिए या पानी पीने के लिए पूछा गया।

उसके बाद जब साढ़े चार बजे हम लोग वहां पर थे, तो एक अफसर ने आकर बोला कि मैडम आप साढ़े चार बजे पर्सनल बांड पर जा सकते हैं। मैंने कहा कि साढ़े चार बजे जब मैं पर्सनल बांड पर जा सकूंगी। तो मेरे साथ जो और महिलाएं भी हैं, उनको भी आपको उसी पर्सनल बांड पर छोड़ना चाहिए। इस पर वह कहने लगे कि हम उनको दो-तीन दिन के लिए डिटेन करना चाहते हैं।

मैंने कहा कि मैं उनकी सीनियर हूँ और मेम्बर पार्लियामेंट भी हूँ। वह लोग हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी महिलाएं हैं। दे आर टीन एजिड, तो उनको डिटेन करके मैं छोड़ नहीं जाना चाहूंगी और मेरे लिये जो रूल लागू हो सकेगा, जिस कानून के मुताबिक मैं रिलीज़ होऊंगी, उसी के तहत मैं उनको रिलीज़ करवाना चाहूंगी। जब मैं पर्सनल बांड पर रिलीज़ हो सकती हूँ, तो उनको क्यों नहीं किया जा सकता? तो जो साढ़े पांच बजे जब भयंकर पर्सनल बांड पर छोड़ने की बातें हुई, उसी समय मैंने उनसे डिमांड किया, बहुत कोशिश करने पर वही लेडी जो मेरे साथ एन० एस० यू० आई० की वे सांचू मेरे साथ थी मुझे उसके साथ पर्सनल बांड पर रिहा किया गया है।... (व्यवधान)

उसके बाद दिन भर जो लाठिया खाने के बाद, इंजर्ड होने के बाद हमारे जो दूसरे कार्यकर्ता थे, उनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था, उन लोगों के लिए हमारी हमदर्दी तो जरूर है। (समय की घंटी) उसके बाद हमने सीधे घर आने की कोशिश नहीं की और पार्लियामेंट आने की भी कोशिश नहीं की और हम अपनी एक दोस्त जो लोक सभा की एम० पी० हैं उनके घर पर थोड़ा प्रेक्शन होने के लिए गए और

उसके बाद अस्पताल में हमारे जो लोग इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुए थे, उन लोगों को देख कर साढ़े आठ बजे तक हम अपने घर पहुंचे।

शर्म की बात तो यह है जो मैं हाऊस में बोलना चाहूंगी कि पुलिस ने जिस तरह से जुल्म किया हमारे आल-इंडिया यूथ कांग्रेस के ऊपर, एन० एस० यू० आई० के ऊपर और हमारे प्रजीडेंट, रमेश चेनीथाली जी के ऊपर, इसमें पूरी कार्यवाही होनी चाहिए और हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि आज प्रजातंत्र में इस तरह के पुलिस के जुल्म चलें और लेडी पुलिस द्वारा ही लेडी को हेंडल करना चाहिए और जो हम एक लेडी होने के नाते और मेम्बर आफ पार्लियामेंट होने के नाते हमारे ऊपर इस तरह से जुल्म हो सकता है, तो इमेजिन करना चाहिए कि आम जनता जो है, दूसरी पब्लिक जो है, गरीब महिलाओं के ऊपर किस तरह से जुल्म नहीं होते होंगे।

इसलिए मैं हाऊस से निवेदन करूंगी और होम मिनिस्टर से भी कहना चाहूंगी कि यह जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के लिए कोई स्पेशल हाऊस में देना चाहिए और उसकी मैं मांग करती हूँ।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय महोदय, अभी जो संसद सदस्या, कु० सुशीला तिरिया ने कहा कि उनके साथ जो पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार हुआ, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है और देखने में यह आया है कि सब जगह महिलाओं पर अत्याचार तो हैं ही, लेकिन एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट पर अत्याचार करने के लिए एक ऐसी धारा लगाई जाती है, जिसको कि वह सदस्या हाऊस में मेशन भी नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती। यह और भी शर्मनाक है।

इसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि इस तरह की धारा क्यों लगाई गई और दूसरा यह कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट पर इस तरह से कोई भी धारा लगा देंगे, तो आम जनता और आम औरत पर, जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उसका क्या होगा? फिर कस्टडी में जो ले जाना था तो महिला पुलिस द्वारा क्यों नहीं ले जाया गया और वहां जाकर पानी, चाय, खाना आदि के लिए भी नहीं पूछा गया। इसके लिए भी आगे से पुलिस कार्यवाही ध्यान से हो। महिलाओं पर इस तरह की धाराएं नहीं लगाई जाएं। इसका भी ध्यान रखा जाए।

4.00 p.m.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity.

THE VICE CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): I only request you to be very brief.

SHRI JAGESH DESAI: This is a question of concern not only to Members from this side, but to the whole House. Yesterday, we were discussing the arrest of Kumari Sushila Tiria and the Home Minister was kind enough to tell us that he would sit in the House till he gave the information to the House. I am very much obliged to the Home Minister. But because the Home Minister did not get the full information and he had left the House to collect information, the Vice-Chairman, Prof. Thakur, adjourned the House for half an hour to enable the Minister to gather information and report to this House. I am very sorry to say that the Doordarshan in its 8-40 Hindi bulletin said that this House was adjourned because of *shore-gul*. This was put out in the Hindi bulletin. Doordarshan is behaving in this manner, wrongly and deliberately telecasting something which had not happened in this House. I do not want to bring, at this stage, the privilege issue against Doordarshan, but an enquiry should be made as to who the reporter was and who gave this kind of report. The whole country is made to feel that we in this Parliament are only making *shore-gul* when we actually give time to the Minister to collect information and the House is adjourned for that purpose.

Mr. Vice-Chairman, Sir, this is the type of telecast being done on Doordarshan. I feel that the Minister for Information and Broadcasting should come to this House and make a statement how this has happened and what remedial action they are taking on this issue. This type of wrong and deliberate reporting of the proceedings of Parliament on TV should be stopped forthwith.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, from the personal explanation of hon. Member, Kumari Sushila Tiria, two points arise. Yesterday the Minister of State said that she was arrested at such and such time and released at such and such time from the Parliament Street Police Station. Just now she told us how she had been taken from one police station to the other police station. So the Minister's statement is misleading.

Secondly, according to the Minister's statement, she was released at 4.30, whereas upto 5.30, when we had been discussing the matter in this House for three hours, she was still in police custody. Thereby the Minister has misled the House.

I just want to put on record that the Minister has misled the House. He did not have full information and I hope, at least in future, the Minister will not come with such half-baked statements to this House.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, just half a minute.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): No, no, that is a different matter.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह सदन बड़े दुख के साथ सुन रहा है कि किस तरह से जन प्रतिनिधियों के साथ पुलिस के अत्याचार और जुल्म बढ़ता जा रहा है। सुशीला तिरिया जी की घटना सदन के सामने है दूसरी घटना गढ़ क्षेत्र के विधायक डा० अख्तर के साथ कल घटी है। डा० अख्तर को सुबह आठ बजे टेलिफोन पर सूचना मिली कि मेन रोड पर जो अल्लाह बख्स गांव है, वहां ट्रक और जीप की दुर्घटना में एक महिला का निधन हो गया। वह महिला प्रेगनेंट थी और उसका बच्चा भी नष्ट हो गया। उसकी मृत्यु हो गयी और बच्चे की भी मृत्यु हो गयी। उस संदर्भ में जब डा० अख्तर वहां पहुंचे तो वहां काफी भीड़ लगी हुई थी और ट्रैफिक जाम था। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। वहां के नागरिकों की केवल दो मांगें थी कि वहां स्पीड ब्रेकर लगाया जाए क्योंकि वहां गांव था। दूसरी मांग यह थी

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

कि जो महिला और उसको होने वाली संतान मरी है, उसका दस दस हजार रुपए अर्थात् बीस हजार रुपए मुआवजा दिया जाए।

विधायक ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और डी० एम०, ए० डी० एम० ई० और ए० डी० एम० एफ० का वह इंतजार करते रहे। यह सबरे 6 बजे की घटना थी और वे लोग तीन बजे के आसपास आए। वहां केवल ए० डी० एम० एफ० आए। उन्होंने उन से बात की कि स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए और आप तत्काल बीस हजार रुपए मुआवजे की घोषणा करिए। साथ ही स्पीड ब्रेकर तत्काल लगाया जाना चाहिए ताकि जो जाम रस्ता है वह चालू हो सके। परंतु उसके बावजूद भी यह नहीं हुआ और वहां पर एस० ओ० बहादुरगढ़ सियाराम यादव, एस० ओ० बाबूगढ़ ब्रजेन्द्र सिंह और सी० ओ० हापुड़—तीन पुलिस के अधिकारी एक पी० ए० सी० के ट्रक में फोर्स को लेकर उपस्थित थे। वहां के लड़कों को जब उन्होंने पीटना शुरू किया तब विधायक ने मना किया कि लोगों को मारो मत। किसी तरह ट्रैफिक चालू होना चाहिए। उसके बाद एस० ओ० ब्रजेन्द्र सिंह ने ललकार कर कहा कि इस साले विधायक को जान से मार दो। जब विधायक डा० अख्तर ने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो बहादुर गढ़ के एस० ओ० सियाराम यादव ने गोली चला दी जिससे वे बुरी तरह से घायल हुए। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप को यह एक्स-रे दिखाना चाहता हूँ। गोली बांह में मारी गयी और वह अब तक गले में उनके अटकी हुए है। जब वे गढ़ मुख्यालय में फर्स्ट एड करणकर मेरठ अस्पताल में आए तो मेरठ अस्पताल ने केस ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को फारवर्ड किया।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वह विधायक रातभर सड़क पर तड़फते रहे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के लागा ने उनकी कोई सहायता नहीं की। सबरे हमारे इस सदन के सभाध्यक्ष श्री एस० एस० अहलुवालिया, श्री स्वामी और श्री अमीन अंसारी—तीनों सबरे 6 बजे वहां गए और तारी व्यवस्था कराई। उसके बाद हमारे नेता राजीव गांधी 9 बजे उसे देखने गए। महोदय, जहां एक ओर पुलिस के लोग जन प्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर सरकार का स्वास्थ्य विभाग उनकी चिकित्सा तक नहीं कर रहा है जबकि यह केस मेरठ के अस्पताल से फारवर्ड किया गया था।

ऐसी स्थिति में मैं गृह मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि मर्डर के जुर्म में ब्रजेन्द्र सिंह, बाबूगढ़ के एस० ओ० और बहादुरगढ़ के एस० ओ० सियाराम यादव जिन्होंने कि

डा० अख्तर को जान से मारने के लिए पूरा प्रयत्न किया, उन को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनकी गिरफ्तारी के बाद सदन में एक वक्तव्य वे दें। उस समय ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो इंचार्ज था जिसने कि डा० अख्तर की चिकित्सा से इंकार किया उसकी नौकरी तत्काल समाप्त की जाए और गृह मंत्री सरकार की ओर से एक वक्तव्य सदन में दें। मान्यवर, जिस देश में जन प्रतिनिधियों पर पुलिस इस तरह के अत्याचार करेगी कि बांह में गोली मारी और गर्दन में अटक जाए और चिकित्सा संस्थान के अधिकारी उसकी चिकित्सा न करें, इससे बड़े शर्म की बात और हो नहीं सकती। पुलिस के लोग इस तरह का अत्याचार जन प्रतिनिधि पर जो कि लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है, उस पर करते हैं। उनको निलंबित न किया जाए, उनको धारा 302 के तहत तत्काल अरेस्ट किया जाय और नौकरी से भी निकाला जाय। साथ ही जो इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस के इंचार्ज हैं, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाय। चूंकि यह जनप्रतिनिधि का मामला है, होम-मिनिस्टर जी वक्तव्य लेकर के यहां आए क्योंकि जब तक इस पर वक्तव्य नहीं आएगा, जनप्रतिनिधियों का जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप सरकार को आदेश दें कि इस पर माननीय सदन में वह वक्तव्य दें।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I associate

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): No.

SHRI V. NARAYANASAMY: because I went to the hospital.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): The only thing is please don't go on speaking. I know that he mentioned your name. You just say that you associate. That is enough.

SHRI NARAYANASAMY: I would like to add only two words. I will not go beyond two words.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Two words only.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Two sentences.

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि रत्नाकर पांडेय जी ने जो अभी बताया है, वह सत्य है और मैं उनकी ताइड

करता हूँ। जो उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जान का खतरा बराबर बना हुआ है। जो आदमी जानबूझ कर के उन्हें मार डालना चाहते थे, जिन्होंने यह किया था, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम करके फौरन उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और गृहमंत्री जी सदन में वक्तव्य दें। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से अपने को संबद्ध करते हुए एसोसिएट करती हूँ। (व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr Vice-Chairman, Sir, today,

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Only two minutes.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Sir. Today morning myself, Shri S.S. Ahluwalia and Shri Mohammed Amin Ansari, Members of Parliament, went to the hospital after receiving the information that Dr. Akhtar has been seriously wounded by police firing. He gave the information which is very authentic.

He had the injury on his back. The bullet went by the side of his neck. The bullet is still there. It is spoiling the nervous system. Our fear is that it will affect the spinal cord also because it has affected the neck itself. He could not lift his left hand. My worry is that the doctors are telling him that he will be discharged.

Sir, Dr. Akhtar is a public representative. He went to the spot where the accident took place, the collision between a truck and a tractor took place, in which a pregnant woman died. As a public representative he went there to settle the dispute. But the police reacted, and it exceeded its limit.

As a law-abiding citizen, I would like to submit that the Home Ministry has to take the matter very seriously. A series of incidents are taking place, and public men, persons who are in public life are being harassed. Some of them are being killed. That being the situation, people will not come to public life.

Therefore, Sir, I would like to urge upon the Home Minister to come with a statement.

I would also request the Health Minister that till such time his wounds are healed, he should not be discharged from the hospital. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Don't spoil the case.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश देजिए, उपाध्यक्ष जी।

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते): समय पर दे देंगे। (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष जी।

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते): नहीं-नहीं। इन्होंने जो कहा है, उसको खराब मत कीजिए। बहुत सीरियसली इन्होंने कहा है। मैं मानता हूँ, यहां तक ठीक हो गया है। मैं खुद न्यूरोलोजिस्ट था, न्यूरोलोजी का डाक्टर था, मैं इसको देख लूंगा।

श्री राम दास अग्रवाल: श्रीयुत राजमोहन गाम्भी। प्रोफेसर सौरीन्द्र भट्टाचार्य। डा० जिनेन्द्र कुमार जैन। श्री शारदा महंती।

SPECIAL MENTIONS

Mismanagement In Gas Authority of India Limited

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): I am very much thankful that this august House has given me an opportunity to speak in the House for the first time.

Members of this House might have come across a series of article revealing high irregularities done in the Gas Authority of India Limited as published by the *Indian Express*, *Janasatta*, *Maya* and *Probe*—"Scandal at GAIL". These revelations will pain any sensible citizen of India that these misdeeds go unnoticed.

Now coming to the irregularities, the point is that in April 1987, the Public Sector Enterprises Board (PSEB) had initially advertised that candidates for the